रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 90] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 20, 1986/फाल्गुन 1, 1907
No. 90] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 20, 1986/PHALGUNA 1, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1986

सा.का.नि. 308 (अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 14 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार में कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की दिनांक 26 जुलाई, 1985 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 610 (ई) में एतद्द्वारा दिनांक 3 मार्च, 1986 से निम्नलिखित और आगे संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में सारणी के लिए निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	न्यायपीठ	न्यायपीठ का क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)
1.	इलाहाबाद न्यायपीठ	बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्य।
2.	बंगलौर न्यायपीठ	आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्य।
3.	बम्बई न्यायपीठ	गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य और दादरा तथा नगर हवेली और गोवा दमन और दीव संघ शासित क्षेत्र
4.	कलकत्ता न्यायपीठ	उड़ीसा, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र
5.	चण्डीगढ़ न्यायपीठ	जम्मू व कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब राज्य तथा चण्डीगढ़ संघ शासित क्षेत्र
6.	दिल्ली न्यायपीठ	राजस्थान राज्य तथा दिल्ली संघ शासित क्षेत्र
7.	गुवाहटी न्यायपीठ	असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड तथा त्रिपुरा राज्य तथा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के संघ शासित क्षेत्र
8.	मद्रास न्यायपीठ	केरल तथा तमिलनाडु राज्य और लक्षद्वीप तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र।

[सं. ए. 11019/31(2)/85-ए.टी]

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 20th February, 1986

G.S.R. 308 (E):—In exercise of the powers conferred sub-section (1) of section 18 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes with effect from the 3rd March, 1986, the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Personnel and Training, Administrative Reforms and Public Grievances and Pension (Department of Personnel and Training) No. GSR 610-E dated the 26th July, 1985, namely:

In the said notification, for the Table, the following Table shall be substituted, namely —

TABLE

Sl. No	Bench	Jurisdiction of the Bench
1	2	3
1	Allahabad Bench	States of Bihar Madhya Pradesh and Uttar Pradesh
2	Bangalore Bench	States of Andhra Pradesh and Karnatak
3.	Bombay Bench	States of Gujarat and Maharashtra and Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Goa Daman and Diu
4	Calcutta Bench	States of Orissa, Sikkim and West Bengal and Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.
5	Chandigarh Bench	States of Jammu and Kashmir, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab and the Union Territory of Chandigarh.
6	Delhi Bench	State of Rajasthan and the Union territory of Delhi
7	Guwahati Bench	States of Assam Manipur Meghalaya, Nagaland and Tripura and the Union Territories of Arunachal Pradesh and Mizoram
8	Madras Bench	States of Kerala and Tamil Nadu and Union Territories of Lakshadweep and Pondicherry.

[No A-11019/31(2)/85-AT]

सा का नि 309 (अ) —प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 (1985 का 13) की धारा 5 की उपधारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की दिनांक 31 अक्तूबर, 1985 की अधिसूचना संख्या सा का नि 823 (ई) के सिलसिले में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा बंगलौर, चण्डीगढ़ तथा गुवाहटी को ऐसे स्थानों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जहां 3 मार्च, 1986 से केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की न्यायपीठें साधारणतः बैठा करेंगी।

[संख्या ए-11019/31(1)/85-ए. टी]

पी जी लेले निदेशक

G.S.R. 309 (E):—In exercise of the powers conferred by section (7) of section 5 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Personnel and Training, Administrative Reforms and Public Grievances and Pension (Department of Personnel and Training), No. GSR 823 (E) dated the 31st October, 1985, the Central Government hereby specifies Bangalore, Chandigarh and Guwahati as the places at which the Benches of the Central Administrative Tribunal shall ordinarily sit with effect from the 3rd March, 1986

[No A-11019/31(1)/85–AT]

P G LELE Director.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS ,DELHI-110054, 1986